पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : office.md@uppcl.org
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 3256/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांकः 30नवम्बर 2024

विषय :– समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.–1 (घरेलू), एल.एम.वी.–2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी.–4बी (निजी संस्थान) एवं एल.एम.वी.– 6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना 2024–25" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि.
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा,
केस्को कानपुर।
[md@puvvnl.in/md@pvvnl.org/md@mvvnl.org/md@dvvnl.org/mdkesco@kesco.org.in]

महोदया/महोदय,

समस्त विद्युत वितरण निगमों में समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.–1 (घरेलू), एल.एम.वी.–2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी.–4बी (निजी संस्थान) एवं एल.एम.वी.–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना 2024–25" लागू की जा रही है। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना में पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत हैं–

प्रथम चरण (16 दिन)	द्वितीय चरण (15 दिन)	तृतीय चरण (16 दिन)
15.12.2024 से 31.12.2024 तक	01.01.2025 से 15.01.2025 तक	16.01.2025 से 31.01.2025 तक

"एकमुश्त समाधान योजना 2024–25" का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हुए निम्न अनुरोध है:–

1. उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये। इस हेतु न केवल प्रेस वार्ता/प्रेस नोट के माध्यम से जनसामान्य को अवगत कराया जाये, वरन् सोशल मीडिया, एफ.एम. रेडियो इत्यादि का भी प्रयोग किया जाये। साथ ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक गांव में एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) हेतु मुनादी करायी जाये जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके एवं वह इसका लाभ उठा सकें। अपेक्षित है कि प्रत्येक मुख्य अभियन्ता (वितरण), वितरण क्षेत्र के स्तर पर इसका अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक ग्राम में मुनादी का कार्य अगले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाये।
2. वर्तमान एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) में पूर्व में आबद्ध कलेक्शन एजेन्सी हेतु प्रोत्साहन की विशेष व्यवस्था की गयी है, जिसे नेवर पेड उपभोक्ताओं एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर दिया जायेगा। अपेक्षित है कि समस्त कलेक्शन एजेन्सीज़ यथा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी के प्रतिनिधि, फिनटेक कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर्स/बिलिंग एजेन्सी की बैठक आगामी दो से तीन दिवसों में बुलाई जाये एवं एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) में प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था से उन्हें भलीभांति अवगत करा दिया जाये। साथ ही समस्त नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जाये।

अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

30/11/24.
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0(वाणिज्य)/सीयू–दो/ओ0टी0एस0 तद् दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

"जल्दी आयें, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें"

"एकमुश्त समाधान योजना 2024–25"

विषय :– समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू), एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0–4बी (निजी संस्थान) एवं एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना 2024–25" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

एकमुश्त समाधान योजना 2024–25 के मुख्य बिन्दु :–

1. **योजना की अवधि :–**

a) यह योजना दिनांक 15.12.2024 से दिनांक 31.01.2025 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत् है :–

प्रथम चरण (16 दिन)	द्वितीय चरण (15 दिन)	तृतीय चरण (16 दिन)
15.12.2024 से 31.12.2024 तक	01.01.2025 से 15.01.2025 तक	16.01.2025 से 31.01.2025 तक

b) योजना में निम्नलिखित श्रेणियों के समस्त भार के विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे :–

i. एल0एम0वी0–1 (घरेलू)

ii. एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक)

iii. एल0एम0वी0–4बी (निजी संस्थान)

iv. एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक)

v. उपरोक्त श्रेणियों के समस्त बकायेदार जिनका संयोजन स्थाई विच्छेदित हो।

c) एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप श्रेणी) उपभोक्ताओं के लिए लागू मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2023 तक के विद्युत बिल में विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट देने हेतु पूर्व (दिनांक 07.03.2024) से पंजीकरण कराये जा रहे हैं जो अद्यतन चालू हैं। अतः उक्त योजना के अनुसार एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप श्रेणी) उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा।

d) योजना में विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दिनांक 30.09.2024 तक के मूल बकाये की 30 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय जमा करनी होगी।

e) पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जायेगा :–

i. एकमुश्त भुगतान

ii. किश्तों में भुगतान

f) शेष बकाया विद्युत बिल का अभिप्राय पंजीकरण धनराशि व अनुमन्य विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है।

2. **योजना में विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचाजी) में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया :–**

a) योजना के अंतर्गत विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचाजी) में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा।

b) विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर, अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे।

c) विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता घर बैठे लॉगिन करने के उपरांत योजना में पंजीकरण कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता www.uppcl.org पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा।

रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपभोक्ता के पास नवीनतम विद्युत बिल एवं मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है।

d) पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य है जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से सम्पर्क किया जा सके।

e) पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का भुगतान विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से किया जा सकेगा।

f) उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर उपलब्ध ऑनलाइन बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि अथवा किश्तों किया जा सकेगा।

g) **विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का विवरण :–**

दिनांक 30.09.2024 तक के विद्युत बिल में विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का श्रेणीवार–चरणवार विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

क्र0सं0	उपभोक्ता श्रेणी व भार	भुगतान के विकल्प	विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट (प्रतिशत में)		
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
1	घरेलू उपभोक्ता (एल0एम0वी0–1) (01 किलोवाट भार तक) सितम्बर 2024 तक मूल बकाया रू0 5,000 तक	एकमुश्त भुगतान	100%	80%	70%
		किश्तों में भुगतान (10 किश्त)	75%	65%	55%
2	घरेलू उपभोक्ता (एल0एम0वी0–1) (01 किलोवाट भार तक) सितम्बर 2024 तक मूल बकाया रू0 5,000 से अधिक	एकमुश्त भुगतान	70%	60%	50%
		किश्तों में भुगतान (10 किश्त)	60%	50%	40%
3	घरेलू उपभोक्ता (एल0एम0वी0–1) (01 किलोवाट से अधिक)	एकमुश्त भुगतान	60%	50%	40%
		किश्तों में भुगतान (04 किश्त)	50%	40%	30%
4	वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0–2) (सभी भार)	एकमुश्त भुगतान	60%	50%	40%
		किश्तों में भुगतान (04 किश्त)	50%	40%	30%
5	निजी संस्थान (एल0एम0वी0–4 बी) (सभी भार)	एकमुश्त भुगतान	60%	50%	40%
		किश्तों में भुगतान (04 किश्त)	50%	40%	30%
6	लघु एवं मध्यम उद्योग (एल0एम0वी0–6) (सभी भार)	एकमुश्त भुगतान	60%	50%	40%
		किश्तों में भुगतान (04 किश्त)	50%	40%	30%

नोट:–

i. उक्त तालिका में भार व श्रेणी का अभिप्राय दिनांक 30.09.2024 को उपभोक्ता की श्रेणी व भार से है।

ii. पंजीकरण के उपरांत डिफाल्टर हुए बिना शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करने पर ही उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जायेगी।

iii. किश्तों का तात्पर्य घरेलू उपभोक्ता (एल0एम0वी0–1, 01 किलोवाट भार तक) के लिए दस मासिक किश्तों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के लिए चार मासिक किश्तों से है।

3. योजना की अन्य नियम व शर्तें :–

a) यह योजना "जल्दी आयें, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें" के सिद्धान्त पर आधारित है। अतः योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा। एकमुश्त भुगतान करने में विलम्ब अथवा किश्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ता को मिलने वाली छूट की धनराशि समय/चरण के साथ कम होती जायेगी।

b) **शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान :–**
पंजीकरण कराने के पश्चात उपभोक्ता द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

   i. **एकमुश्त भुगतान :–** पंजीकरण कराने के उपरांत 30 दिवसों के अन्दर वर्तमान विद्युत बिल के साथ शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करना होगा।

   ii. **किश्तों में भुगतान :–** पंजीकरण के पश्चात शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान घरेलू उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0–1, 01 किलोवाट भार तक) को 10 मासिक किश्तों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 04 मासिक किश्तों में करना होगा। मासिक किश्त का भुगतान मासिक विद्युत बिल के साथ अथवा अग्रेतर किश्तों का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।

c) इस योजना में पात्र श्रेणियों में से शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (02 कि0वा0 भार से अधिक) जो पिछले वर्ष की दिनांक 08.11.2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत डिफाल्टर हो गये हो, द्वारा केवल एकमुश्त भुगतान करने के विकल्प के साथ पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण कराने के उपरांत शेष बकाया विद्युत बिल का एकमुश्त पूर्ण भुगतान ही करना होगा अर्थात आंशिक भुगतान (पार्ट पेमेण्ट) तथा किश्तों का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

d) **किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि :–**
उपभोक्ता द्वारा जिस तिथि को पंजीकरण कराया जाता है, अगले माह की इसी तिथि को प्रथम मासिक किश्त के भुगतान हेतु नियत तिथि माना जायेगा। इसके पश्चात् अग्रेतर माहों की इसी तिथि को क्रमशः अग्रेतर मासिक किश्तों के भुगतान हेतु नियत तिथि माना जायेगा।

e) **योजना के अन्तर्गत डिफाल्टर होना :–**

   i. एकमुश्त भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में यदि शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा।

   ii. किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा किसी भी किश्त का नियत तिथि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता डिफाल्टर हो जायेगा।

   iii. डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा विलम्बित भुगतान अधिभार में दी गयी छूट व डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलम्बित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

f) **योजना में उपभोक्ता के विद्युत बिल में संशोधन :–**
योजना में पंजीकरण कराने से पूर्व विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय द्वारा यथा सम्भव सुनिश्चित यह किया जायेगा कि बिल संशोधन की आवश्यकता नही है। उपभोक्ता बिल संशोधन कराने के लिए विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय से संपर्क कर अथवा विभागीय आधिकारिक वेबसाईट www.uppcl.org अथवा 1912 पर उपभोक्ता अनुरोध कर सकेंगे। अनुरोध करने के तीन दिवसों के अन्दर विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय द्वारा विद्युत बिल में यथा–आवश्यक संशोधन कर वस्तुस्थिति से उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा।

g) उपभोक्ता की जानकारी के लिए पंजीकरण रसीद पर सम्भावित छूट की धनराशि एवं किश्तों/बकाया धनराशि का एकमुश्त का भुगतान करने के लिए नियत तिथियों की तालिका प्रदर्शित की जायेगी।

h) किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता के आगामी मासिक विद्युत बिलों एवं भुगतान रसीद पर भुगतान हेतु लम्बित किश्तों व धनराशि को प्रदर्शित किया जायेगा।

i) शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान होने पर उपभोक्ता को विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में दी गई छूट का विवरण एकमुश्त भुगतान/अंतिम किश्त भुगतान रसीद पर प्रदर्शित किया जायेगा।

j) इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरणों में पी०डी० फाइनल बिल के सापेक्ष अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी०डी० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

k) इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय या किसी अन्य फोरम में लम्बित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

l) उपभोक्ताओं जिनके विरूद्ध आर०सी० निर्गत है, भी इस योजना में पात्र होंगे। परन्तु ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार देय कलेक्शन चार्जेस का भी भुगतान लेना अनिवार्य होगा (जिसका भुगतान कलेक्शन चार्जेस के रूप में बाद में जिला अधिकारी कार्यालय को देना होता है)।

4. योजना में कलेक्शन एजेन्सी के लिए प्रोत्साहन धनराशि –

a) कलेक्शन एजेन्सी का अभिप्राय जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) से है।

b) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नेवर पेड उपभोक्ताओं, जिनकी संयोजन तिथि दिनांक 30.06.2024 अथवा पूर्व की हो, से कलेक्शन एजेन्सी द्वारा शेष बकाया धनराशि का पूर्ण अथवा किश्तों में भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

c) इसी प्रकार पंजीकृत लॉंग अनपेड उपभोक्ताओं, जिनकी अंतिम भुगतान तिथि दिनांक 30.06.2024 अथवा पूर्व की हो, से कलेक्शन एजेन्सी द्वारा शेष बकाया धनराशि का पूर्ण अथवा किश्तों में भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

d) प्रोत्साहन धनराशि पंजीकृत नेवर पेड/लॉंग अनपेड उपभोक्ताओं के दिनांक 30.09.2024 तक विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) से अनुमन्य छूट को कम करने के उपरांत शेष अधिभार का 10 प्रतिशत होगी।
उदाहरण :– पंजीकृत नेवर पेड/लॉंग अनपेड उपभोक्ताओं से कलेक्शन एजेन्सी द्वारा योजना के अन्तर्गत शेष बकाया धनराशि का पूर्ण अथवा किश्तों का भुगतान प्राप्त करने पर यदि रू0 1,000/– विलम्बित भुगतान अधिभार के रूप में जमा कराया जाता है तो कलेक्शन एजेन्सियों के मध्य प्रोत्साहन धनराशि के रूप में कुल रू0 100/– वितरित किये जायेंगे।

e) प्रोत्साहन धनराशि कलेक्शन एजेन्सी को दिये जा रहे नियमित कमीशन राशि के अतिरिक्त होगी।

f) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नेवर पेड/लॉंग अनपेड उपभोक्ता से कलेक्शन एजेन्सियों द्वारा प्राप्त किये गये भुगतान के अनुपात में प्रोत्साहन धनराशि की गणना की जायेगी।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक